कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 1726 /5-6 , दिनांक, कालसी, 24-12-2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस वन प्रभाग की निष्प्रयोज्य वाहन संख्या–UA-07Q-2494 (बुलेरो) मॉडल 2006 एवं UK-07GA-0929 (सुमोग्रान्ड) मॉडल 2011, जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय में खड़ी है, की नीलामी हेतु ''जैसा है जहां है'' के आधार पर सार्वजनिक नीलामी दिनांक 21.01.2022 की प्रातः 12.00 बजे तक प्रधान कार्यालय के परिसर में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के रूप में प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 5,000/– जमा करने होंगे। शेष शर्तें प्रधान कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। है। नीलामी से संबंधित विस्तृत विवरण वन विभाग की **वेबसाईट www.forest.uk.gov.in,** इस कार्यालय के ई–मेल **dfo_kalsi@rediffmail.com** एवं **व्हट्सअप नम्बर 9410332285** से प्राप्त किया जा सकता है।

नीलामी हेतु शर्तें

1. वाहन संख्या–UA-07Q-2494 (बुलेरो) मॉडल 2006 एवं UK-07GA-0929 (सुमोग्रान्ड) मॉडल 2011 वर्तमान में प्रभागीय कार्यालय, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी में ''जहाँ है जैसा है'' की स्थिति में खड़ी है। इच्छुक व्यक्ति उसे देख सकता है।
2. नीलामी हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 5,000/– प्रवेश शुल्क जमा करना होगा, जो नीलाम के पश्चात वापस देय होगा।
3. नीलाम में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिये तब तक बोली नहीं बोल सकता जब तक नीलाम से अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित अधिकार पत्र उसके पास न हो।
4. उच्चतम बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
5. समिति द्वारा स्वीकार की गई उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब तक विभागाध्यक्ष द्वारा यह बोली अनुमोदित कर दी जाये।
6. यदि नीलाम करने वाली समिति यह समझे कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने एक गिरोह बना लिया हो और वाहन का उचिम मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलाम स्थगित कर दिया जायेगा।
7. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी बोली का 25 प्रतिशत धन बन्धक धनराशि के रूप में नीलाम समाप्त होते ही तुरन्त नगद जमा करना होगा तथा 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य है। यह धन चैक, बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. यदि बन्धक धनराशि जमा नहीं किया जाता है तो अन्तिम उच्चतम बोली निरस्त कर दी जायेगी और नीलाम बोली दूसरे नम्बर के अधिकतम बोली दाता के नाम की जायेगी या फिर से नीलाम की जायेगी।
9. बन्धक राशि जमा न करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।
10. उक्त वाहन का परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।
11. जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली की विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन नहीं किजा जाता है तब तक नीलाम की गई गाड़ी की चौकसी करने के लिए वांछित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की होगी, लेकिन नीलाम की गई गाड़ी उसी परिसर में रखी जायेगी जहां नीलाम हुई थी। गाड़ी की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व भी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्तिा का होगा।
12. नीलाम की गई गाड़ी की उच्चतम बोली दाता को तभी दी जायेगी जबकि उसने गाडी का पूरा मूल्य तथा विभिन्न कर आदि की धनराशि का भुगतान कर दिया हो और विभागाध्यक्ष ने गाड़ी ले जाने की अनुमति दे दी हो।
13. जिस व्यक्ति के हक में नीलाम अन्तिम रूप से स्वीकार होगा उस व्यक्ति को गाड़ी का पूरा मूल्य एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं अन्य जो भी कर देय हो उसे अतिरिक्त जना करना अनिवार्य है तथा उक्त वाहन को एक सप्ताह के अन्दर उक्त स्थान से हटा लेना होगा तथा समयावधि के बाद विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. उपरोक्त नीलामी शर्तों के विषय में किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

पत्रांक– 1726 / 5-6 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक,(गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सैल, देहरादून को उक्त निविदा सूचना विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर।
5. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।
6. कार्यालय सूचना पट, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

I.T.C.
27/12